न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 59 / 2014

वादी
मोहनलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत
रामनगर खारीया, तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण
1.उदाराम पुत्र भैरूबक्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर
2.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती।
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित – श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता वादी की ओर से ।
श्री प्रवीण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 21/6/15

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.02हैक्टर, खसरा नम्बर गै.मु.कुआ 1150 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी खसरा नम्बर 1151 रकबा 4.7223 हैक्टर किस्म जाव व चाही खसरा नम्बर 1184 रकबा 1.51 हैक्टर किस्म जाव व चाही, खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.01 हैक्टर क़िस्म गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 1186 रकबा 2.92 हैक्टर किस्म जाव व चाही कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.2523 हैक्टर स्थित है । उपरोक्त खसरान की भूमि में से प्रतिवादी संख्या एक 4.53 हैक्टर में 1/3 का खातेदार काश्तकार है तथा अन्य सह खातेदारान के साथ भूमि आयी हुई थी । प्रतिवादी संख्या एक से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान 03.10.2012 को उपरोक्त खसरा नम्बर 1149,1150,1151,1184,1185,1186 कुल रकबा 9.2523 मे प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से मे से 0.5663 हैक्टर भूमि क्रय की गई तथा प्रतिवादी ने उक्त तिथि को ही वादी को कब्जा संभला दिया था,उसी दिन से वादी काबिज चला आ रहा है । उक्त बेचाननामें के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु पटवारी हल्का कुचामनसिटी को प्रति दी गई । पटवारी हल्का द्वारा वादी को आश्वस्त किया गया कि उसका म्यूटेशन हो जायेगा । वादी सन्तुष्ट होकर चला गया । तत्पश्चात वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो नकल जमाबन्दी अनुसार दिनॉक 06.01.2014 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 4477 से आपसी रजामन्दी से बंटवारा हो गया । उक्त बंटवारे अनुसार प्रतिवादी संख्या एक के हक में खसरा नम्बर 3343/1186 रकबा 1.46 हैक्टर व खसरा नम्बर 3342/1184 रकबा 0.0167 हैक्टर कुल रकबा 1.4767 भूमि आई । पटवारी हल्का कुचामनसिटी को पुनः बेचान की प्रति नामान्तरकरण किये जाने हेतु देने पर कहा कि उक्त भूमि का बंटवारा हो चुका है इसलिये अब नामान्तरकरण नही हो सकता । इसी सन्दर्भ में तहसीलदार कुचामनसिटी से वादी ने निवेदन किया,परन्तु उन्होने भी नामान्तकरण नही करने का कथन किया । प्रार्थी अपनी उपरोक्त क्रय सुदा भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाये जाने हेतु वाद लाने की आवश्यकता हुई ।

वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के ख.नं.1149,1150,1151,1184,1185,1186 में बंटवारा होकर नामा.सं.4477 दिनॉक 06.01.2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के नाम अलग से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A2/26

भूमि खसरा नम्बर 3343/1186 रकबा 1.46 हैक्टर भूमि मे वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनॉक 03.10.2012 द्वारा क्रय की गई भूमि रकबा 0.5663 हैक्टर भूमि का वादी को खसरा नम्बर 3343/1186 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में संशोधन कर दर्ज किये जाने के आदेश तथा प्रतिवादी संख्या एक का रकबा 0.5663 हैक्टर उपरोक्त खसरा नम्बर में कम किए जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाये इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती की एक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या एक ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया । जो शामिल मिसल उपलब्ध है । प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा ,जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा चालू जमाबन्दी नकल,बेचान दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में स्वय को शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । बहस के दौरान वादी ने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3343/1186 मे से 0.5663 भूमि स्वय के नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या एक के कम किये जाने का कथन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस का मनन किया गया । वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1149,1150,1151,1184,1185,1186 मे से दिनॉक 03.10.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से 0.5663 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या एक से क्रय की तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ इसी दौरान कुचामनसिटी के खसरा नम्बरान 1149,1150,1151,1184,1185,1186 में सह खातेदारान ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 4477 दिनॉक 06.01.2014 को स्वीकृत होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज हुई । जिसमे प्रतिवादी संख्या एक के हक में खसरा नम्बर 3343/1186 रकबा 1.46 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3342/1184 रकबा 0.0167 कुल रकबा 1.4767 हैक्टर दर्ज हुये । वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 3343/1186 रकबा 1.46 हैक्टर मे 0.5663 हैक्टर पर चला आना इकबाली जवाब से साबित है । प्रतिवादी संख्या एक द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है । इससे वादी के वाद साबित होने की पुष्टि होती है । वादी के हिस्से के भूमि का नामान्तरकरण आज दिन तक नही होना राजस्व अभिलेखो से पुष्टि होती है । अतः वादी का वाद काबिल डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार वादी का वाद डिक्री किया जाता है :–

आदेश

कस्बा कुचामनसिटी के खसरा 3343/1186 रकबा 1.46 हैक्टर मे सें रकबा 0.5663 हैक्टर का वादी मोहनलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या एक के खाते मे से उक्त रकबा कम करते हुए वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज की जावे । मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनॉक 21/6/15 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)